



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU-18/2026

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी सीधी भर्ती -2025 के ज़रिए राजस्थान राजस्व विभाग में पटवारी पद पर चुने जाने के बाद, श्री हेमंत, हवलदार (ग्रुप 'सी'), सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 02.03.2026 को दिए गए त्यागपत्र को दिनांक 12.03.2026 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of Patwari of Rajasthan Revenue Department through the Patwari Direct Recruitment-2025 conducted by Rajasthan Staff Selection Board, the Resignation dated 02.03.2026 tendered by Shri Hemant, Hawaldar (Group 'C'), CGST & CX Commissionerate, Udaipur is hereby accepted w.e.f. 12.03.2026.

चूंकि अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की है और इस विभाग में हवलदार के पद पर स्थायी नहीं हुए हैं, इसलिए हवलदार ग्रेड में विभाग में उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

As the officer has not completed the probation period and has not been confirmed in this department on the post of Havaladar, therefore, he will not retain any lien in the department in grade of Havaladar.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

This order issues with the approval of the Appointing Authority.

(अनुपमा सक्सेना)

सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री हेमंत, हवलदार, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर।
2. संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर को उनके कार्यालय के पत्र फा.सं. III/(39)/OTH/301/2021-ESTT. dated 10.03.2026 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री हेमंत, हवलदार को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री हेमंत, हवलदार को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/अपीलस, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या.-जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।